पत्र संख्या–14/डी0एल0ए0 (गंडक पुल)–प0 चम्पारण –134/12–720 दि0– 05/03/13

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
अधिसूचना

सं0 स0 .... डी0एल0ए0 प0 चम्पारण ....रा0 चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–रामपुर, परगना –मझौवा, थाना–बगहा (धनहा) जिला प0 चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात – धनहा–रतवल घाट के बीच गंडक नदी पर पुल निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का ग्रहण अपेक्षित है इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम –रामपुर न0–277 के भीतर कमोवश 14 बीघा 07 कठ्ठा 16 धुर जो मानक माप 4.75750 एकड़ के बराबर होता है, एक भु–खंड अपेक्षित है ,जिसका पूर्ण खेसरा नं0 – 472 एवं 471 तथा अंश खेसरा सं0– 476, 477,475, 474, 473, 470, 469, 479, 510, 511, 512, 460, 459, 535, 441, 440, 437, 435, 561, 562, 563, 564, 560, 567, 565, 566, 568, 422, 418, 417, 416, 582, 581, 583, 588, 586 एवं 587 है तथा इस भू–खंड की चौहदी निम्न प्रकार है :–

उत्तर :– पूर्ण खेसरा संख्या– 467
दक्षिण :– मौजा–धनहा नं0 278 का सीमा रेखा।
पूरब :– पूर्ण खेसरा नं0 515 एवं अंश खेसरा संख्या– 477, 475, 479, 510, 512, 460, 459, 535, 435, 561, 560, 567, 566, 568, 418, 417, 416, 582, 581, 588, 586 एवं 587
पश्चिम :– अंश खेसरा नं0 476, 474, 473, 470, 469, 510, 511, 512, 460, 459, 441, 440, 437, 435 ,562, 563, 564, 565, 566, 422, 418 ,417, 416, 583 ,588, 586 एवं 587

यह अधिसूचना भू–अर्जन अधिनियम I–1894 की धारा 4 एवं भू–अर्जन संशोधित अधिनियम 1984 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध है।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,प0 चम्पारण, बेतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार, जिला भू –अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण , बेतिया और उनके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे वरीय परियोजना अभियन्ता, विशेष कार्य प्रमण्डल, बेतिया पदाधिकारियों एवं स्टाफ को प्राधिकृत करता हूँ कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण करें तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथाउपबन्धित या यथाविनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करें।

और चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि बंजर ....×......... एकड़ तथा कृषि योग्य 4.75750 एकड़ है तथा उसका तुरंत अर्जन आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम का धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबन्ध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

समाहर्त्ता
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक.................................../डी0एल0ए0, प0 चम्पारण पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना प्रारुप की 3 (तीन) प्रतियाँ सी0 डी0 के साथ दो दैनिक समाचार पत्र में जिनमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बेतिया को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजपत्र , प0 चम्पारण बेतिया को जिला राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित कराने और इसकी पॉच अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को यथाशीघ्र भेजने के लिए भेजी जाती है।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,प0 चम्पारण बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक संख्या–14/डी0एल0ए0 (गंडक पुल)–प0 चम्पारण –134/12–720/रा0 दि0– 05-03-13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0 डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, प0 चम्पारण को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, प0 चम्पारण को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

5/3/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

3